

05.09.24

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी उप०। ONLINE खाल में डिफ्टी का
उत्काल हो गया है। अतः प्रक पार्थी पर श्री स्तर पर स्वीकार
कर वाकिल दफ्तर कबरे का आदेश दिया जाता है नंबर स
रुम हो।

आदेश सुनाय्य गया।



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

JCMS
2024/283